भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2908
(06.08.2025 को उत्तर के लिए)

सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र

2908. **डॉ. संबित पात्रा:**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीजीजी) के प्रमुख कार्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या एनसीजीजी के पास अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से भारत की उदारवादी छवि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनसीजीजी ने भारत में अपने कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए अन्य देशों के साथ समझौते किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान एनसीजीजी को कितना बजट आवंटित किया गया है और उसके द्वारा कितना व्यय किया गया है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क): राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के प्रमुख कार्य और उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

(i) प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय क्षेत्रों में, शासनात्मक और नीतिगत सुधारों के लिए, एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करना;

(ii) सुशासन, ई-गवर्नेंस, नवाचार और परिवर्तन प्रबंधन को बढ़ावा देने वाली सर्वोत्तम परिपाटियों, पहलों और कार्यप्रणालियों पर जानकारी के राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करना;

(iii) राष्ट्रीय/राज्य और स्थानीय स्तर पर, विनियामक और विकास प्रशासन, लोक नीति, शासन और लोक प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर, कार्य-क्लाप अनुसंधान और क्षमता विकास की शुरुआत करना और इसमें प्रतिभागिता करना;

(iv) शासन के प्रमुख मुद्दों पर सलाह देना, तथा भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना;

(v) शासन में नवाचार और सर्वोत्तम परिपाटियों को साझा किया जाना तथा इनके अनुकरण को बढ़ावा देना;

(vi) उपर्युक्त क्षेत्रों में अनुसंधान और क्षमता निर्माण से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठनों के साथ बातचीत करना;

(vii) देश के भीतर और विदेश में परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करना;

(viii) 'सोसायटी' की गतिविधियों के लिए संसाधन जुटाना, एक कोष स्थापित करना और इसका प्रबंधन करना जिसमें निम्नलिखित क्रेडिट किए जाएंगे: केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मुहैय्या करवाई गई धनराशि; सोसायटी द्वारा लगाए गए सभी शुल्क और प्रभार, सोसायटी को ऋण, अनुदान, परामर्शदात्री शुल्क, उपहार, दान, वसीयत या हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त धनराशि;

(ख) और (ग): जी हाँ। एनसीजीजी, विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक कार्यक्रम (आईटीईसी) के अंतर्गत भारत में अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवकों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित करता है। एनसीजीजी ने इस आशय के लिए, भारत में अपने सिविल सेवकों के क्षमता विकास हेतु निम्नलिखित देशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं:

(i) श्रीलंका

(ii) मालदीव

(iii) मॉरीशस

(iv) मेडागास्कर

(घ): पिछले तीन वर्ष (2022-23 से 2024-25) के दौरान, एनसीजीजी को आवंटित बजट/निधियां और इसके द्वारा किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि रुपये में)

वित्तीय वर्ष	**आवंटित धनराशि**	**व्यय**
2022-23	11,82,77,490	10,33,20,244
2023-24	18,98,55,848	17,93,92,450
2024-25	19,50,63,924	19,21,47,898

*****